न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2901 /विधि सहरसा, दिनांक 29-9-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0वाद सं0-18/2023 में दिनांक-27.09.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही आपका पत्रांक 239-2/आ0, दिनांक 15.03.2023 से प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- **यथोक्त।**

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल को पारित आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- मीना कुमारी, पति-दिलीप मंडल, सा0-हरिहरपट्टी, वार्ड नं0-07, पो0-हरिहरपट्टी, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

किये गये चयन के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें चयनित अभ्यार्थी ममता कुमारी, पति-तरूण मंडल साकिन-हरिहरपट्टी, थाना-त्रिवेणीगंज जिला-सुपौल को विपक्षी सं0-08 बनाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि वे जिला स्तरीय चयन समिति, सपौल द्वारा हरिहरपट्टी पंचायत के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा विज्ञापन सं0-01/2017 दिनांक 15-10-2017 को प्रकाशित किया गया, जिसमें त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत हरिहरपट्टी पंचायत के लिए दो पद एक पिछड़ा वर्ग एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित था। पुनरीक्षकर्त्ता द्वारा समय सीमा के अंदर सभी कागजातों, शैक्षिनिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मालगुजारी रसीद, निवास प्रमाण पत्र आदि के साथ अपना आवेदन जमा किया गया। विपक्षी सं0-08 ममता कुमारी द्वारा भी आवेदन समर्पित किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में प्राप्त अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची दिनांक-02.04.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज द्वारा प्रकाशित की

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0...से..तक

जिला...,सं0...,सन् १९.........................

केस का प्रकार...

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
27/09/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-18/2023

मीना कुमारी..........................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य......................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद मीना कुमारी, पति- दिलीप मंडल साकिन-हरिहरपट्टी, वार्ड सं0-07, पो0-हरिहरपट्टी, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में उनके द्वारा दायर CWJC NO-24595/2019 में दिनांक-03.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में जिला चयन समिति, सुपौल के द्वारा त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत हरिहरपट्टी ग्राम पंचायत के अत्यंत पिछड़ी कोटि के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु किये गये चयन के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें चयनित अभ्यार्थी ममता कुमारी, पति-तरूण मंडल साकिन-हरिहरपट्टी, थाना-त्रिवेणीगंज जिला-सुपौल को विपक्षी सं0-08 बनाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि वे जिला स्तरीय चयन समिति, सपौल द्वारा हरिहरपट्टी पंचायत के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति हेतु समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा विज्ञापन सं0-01/2017 दिनांक 15-10-2017 को प्रकाशित किया गया, जिसमें त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत हरिहरपट्टी पंचायत के लिए दो पद एक पिछड़ा वर्ग एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित था। पुनरीक्षकर्त्ता द्वारा समय सीमा के अंदर सभी कागजातों, शैक्षिनिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मालगुजारी रसीद, निवास प्रमाण पत्र आदि के साथ अपना आवेदन जमा किया गया। विपक्षी सं0-08 ममता कुमारी द्वारा भी आवेदन समर्पित किया गया। उक्त विज्ञापन के आलोक में प्राप्त अभ्यर्थियों की एक मेधा सूची दिनांक-02.04.2018 को अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज द्वारा प्रकाशित की

गई, जिसमें विपक्षी सं0-08 को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का लाभ देते हुए चयन कर लिया गया। पुनरीणकर्त्ता का कहना है की विपक्षी ममता कुमारी के आवेदन के क्रम सं0-03 में केवल "हाँ" लिखा हुआ है एवं उनके द्वारा अंचलाधिकारी, कहरा जिला-सहरसा द्वारा गैरकानूनी रूप से "धानुक" अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जमा किया गया है जबकि विपक्षी सं0-08 के पिता-निर्मल महतो खतियान के अनुसार कुर्मी है जो पिछड़ा वर्ग में आता है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के विभागीय परिपत्र सं0-673 दिनांक-08.03.2011 तथा पत्रांक-11490 दिनांक-16.08.2012के अनुसार महिला उम्मीदवार का आरक्षण पिता के नाम से निर्गत होना आवश्यक है। उसी आधार पर पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा विपक्षी सं0-08 का चयन को रद्द करते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता का चयन करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0-08 की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर तथा बहस में भाग लेते हुए उनके विद्व अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणली डीलर अनुज्ञप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में त्रिवेणीगंज अनुमंडलान्तर्गत हरिहरपट्टी पंचायत के दो रिक्त स्थानों एक पिछड़ा वर्ग एवं एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद के लिए पुनरीक्षणकर्त्ता के साथ-साथ विपक्षी सं0-08 एवं अन्य के द्वारा आवेदन किया गया, जिसमें विपक्षी सं0-08 ममता कुमारी द्वारा आवेदन के साथ कागजात यथा-शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कम्प्यूटर प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र सहित अन्य कागजात जमा किया गया। अधिक अंक एवं अन्य योग्यता पूरी करने के कारण सर्वोच्च योग्यताधारी होने के आधार पर मेधा सूची तैयार किया गया एवं विपक्षी सं0-08 का चयन किया गया, जो बिल्कुल सही एवं विधिसम्मत है। पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा मूल रूप से विपक्षी सं0-08 के अत्यन्त पिछड़ा वर्ग होने पर प्रश्न चिन्ह् लगाया गया है। इस संबंध में विपक्षी सं0-08 द्वारा कहा गया है कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, प्रखंड-कहरा, जिला-सहरसा, जो कि पिता का पैतृक घर है, के अंचलाधिकारी द्वारा धानुक जाति (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) का प्रमाण पत्र पुराने खतियान, वंशवृक्ष आदि के जाँच पड़ताल के उपरांत ही निर्गत किया गया है अर्थात विपक्षी सं0- 08 का प्रमाण पत्र पिता के पैतृक स्थान से ही निर्गत है। धानुक जाति के प्रमाण के रूप विपक्षी सं0-08 के पिता एवं भाई का जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न है एवं सत्यापित वंशवृक्ष भी संलग्न है। जिनमें जाति "धानुक" वर्णित है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त

साक्ष्य/कागजातों के साथ विपक्षी सं0-08 ममता कुमारी का पिता के नाम /पता से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र, उनके भाई तथा पिता के जाति प्रमाण-पत्र के परिशीलन से स्पष्ट है कि विपक्षी सं0-08 ममता कुमारी "धानुक" जाति की हैं तथा वे अत्यन्त पिछड़ा वर्ग से आती हैं। उक्त के आलोक में जिला चयन समिति के निर्णय को सम्पुष्ट करते हुए इस पुनरीक्षण वाद को खारिज किया जाता है। इसी विवेचन के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

27/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

27/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।